UPBB010004382022

**न्यायालयः–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, बाराबंकी।**

उपस्थित –: परशुराम (एच०जे०एस०) J.O. Code No.UP 6451

सिविल विविध अपील संख्या- 11/2022

कुसुमादेवी आयु करीब 48 साल पत्नी अनिल कुमार, निवासी मो० प्रेमनगर, ढखौली, सोमैयानगर, परगना व तहसील- नवाबगंज, जिला बाराबंकी ।

................. अपीलार्थी / वादी

**बनाम**

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव उम्र करीब 61 साल पुत्र स्व० केवल किशोर श्रीवास्तव, निवासी -81 दयाल स्टेट, कस्बा चिनहट, फैजाबाद रोड, शहर व जिला लखनऊ ।

.................. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

**निर्णय**

**1-** अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील विद्वान विचारण न्यायालय / न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्य-20, बाराबंकी द्वारा मूल वाद संख्या-468 / 2021 कुसुमा देवी बनाम प्रदीप कुमार में अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6-ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जाब्ता दीवानी के संदर्भ में पारित आदेश दिनांकित: 18-12-2021 के विरूद्व संस्थित की गई है ।

**2-** अपीलार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक-18-12-2021 अस्पष्ट, विरोधाभासी है तथा साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन करने की भूल की गयी है । अपीलार्थी के विवादित प्लाट का रकबा 2400 वर्गफिट है जबकि विपक्षी संख्या-1 के प्लाट का रकबा 3600 वर्गफिट है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में खतौनी कागज संख्या-ग-13 में अपीलार्थी का नाम दर्ज होने के बावजूद नाम दर्ज नहीं होने की बात कही है । विपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत बैनामा दिनांकित 12-07-1994 के आधार पर विवादित प्लाट भूमि गाटा संख्या-235 मि० की खतौनी कागज संख्या ग-23 में विपक्षी संख्या-1 का नाम दर्ज नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में उभयपक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया है जबकि दूसरी तरफ वादिनी / अपीलार्थिनी को उपभोग में हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया है जिस कारण प्रश्नगत आदेश अपने आप में त्रुटिपूर्ण व भ्रामक है । विचारण न्यायालय द्वारा कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा नजरी का भी सम्यक अवलोकन न करने की भूल की गयी है । कमीशन में विवादित प्लाट पर किये जा रहे निर्माण में 8 पिलर अर्धनिर्मित अवस्था में मिले व अपीलार्थिनी की बोरिंग व निर्माण सामग्री मिली । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-39 जा०दी० कागज संख्या-ग-6 के माध्यम से मांगे गये अनुतोष के सम्बंध में कोई युक्ति–युक्त आदेश पारित न करके अपीलार्थिनी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को, कराये जाने से निषेधित कर दिया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से अभिलेख खतौनी पर अंकित अपीलार्थिनी

का नाम स्वयं विवादित प्लाट पर अपीलार्थिनी द्वारा कराये जा रहे निर्माण व अस्थायी रिहाइश को अनदेखा करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैनामा दिनांकित-12-07-1994 से क्रय किये गये प्लाट की चौहद्दी एवं पैमाइश जो अपीलार्थिनी के प्लाट की चौहद्दी व पैमाइश से पूर्णतया भिन्न होने के सम्बंध में कोई फाइन्डिंग न देने की भारी भूल की है । याचना की गयी कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18-12-2021 निरस्त करके अपीलार्थिनी को विवादित प्लाट पर उसके शान्तिपूर्ण कब्जा व उपभोग एवं निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं कब्जा आदि करने से विपक्षी संख्या -1 / प्रत्यर्थी को रोक दिया जाये ।

**3-** प्रत्यर्थी/ विपक्षी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6-ग व आपत्ति में किये गये कथन तथा प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय साक्ष्य तथा तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए विधिनुकूल आदेश पारित किया गया है । इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी / वादी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है, सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है यदि स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ होता तो उनकी कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी । याचना की गयी कि अपील निरस्त कर दी जाये ।

**4-** मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को दौरान बहस विस्तार से सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

**5-** प्रस्तुत किये गये आलोच्य आदेश की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय / न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या-468 / 2021 कुसुमा देवी बनाम प्रदीप कुमार में अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6-ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जाब्ता दीवानी को प्रश्नगत आदेश दिनांकित: 18-12-2021 के द्वारा स्वीकार किया गया है ।

**6-** प्रश्नगत सिविल विविध अपील के विधिसंगत निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित: 18-12-2021 पारित करते समय कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि कारित की गयी है ?

**7-** आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुक्रम में अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु तीन प्रमुख तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है :-

(i) प्रथम दृष्टया केस,
(ii) सुविधा की तुला,
(iii) अपूर्णनीय क्षति ।

8- उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में तलबशुदा सम्बंधित मूल पत्रावली / वाद पत्र तथा आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि वादिनी द्वारा प्रश्नगत वाद प्रतिवादी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आदि के विरूद्ध निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है । वादिनी द्वारा वाद पत्र में आराजी संख्या-235 मि० ग्राम ढकौली, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी को विवादित बताया गया है । यह भी कहा गया है कि उसने उक्त आराजी में से पूरब- पश्चिम 60 फिट तथा उत्तर से दक्षिण 40 फिट, कुल 2400 वर्गफिट जमीन पंजीकृत बैनामा दिनांकित 24-12-2020 (बही सं.1, जिल्द संख्या -13, पृष्ठ संख्या-283-298, क्रमांक-18783, पंजीयन उपनबिन्धक कार्यालय, नवाबगंज, बाराबंकी) के द्वारा क्रय किया है । जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ.ब.स.द. से दर्शित किया गया है । यह भी कहा गया है कि

बैनामा क्रय किये जाने के उपरान्त उसका नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। वादिनी द्वारा वाद संस्थित करते समय आदेश-39, नियम-1 जा०दी० के तहत प्रार्थना पत्र 6ग दौरान मुकदमा अन्तरिम ब्यादेश निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनकर दिनांक -18-12-2021 को प्रार्थना पत्र 6ग का निस्तारण करते हुए आदेश पारित किया गया है कि "अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 दौरान मुकदमा स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित प्लाट स्थित ग्राम ढखौली, परगना व तहसील नवाबगंज, बाराबंकी, वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दर्शित अक्षर अ, ब, स, द है, चौहद्दी पूरब प्लाट अखिलेश, पश्चिम रास्ता कच्चा 16 फिट चौड़ा व मकान दीनदयाल पाठक, उत्तर प्लाट संजय डिमला, दक्षिण प्लाट रंजना श्रीवास्तव व प्लाट अग्निहोत्री के बादत मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्ष उक्त विवादित प्लाट में कोई निर्माण नहीं करें , जिससे उसकी नवैय्यत बदलें। लेकिन प्रतिवादीजन वादिनी के उपभोग में हस्ताक्षेप न करें।"

9- आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि आदेश-39 नियम-1 व 2 जा०दी० के सम्बंध में प्रमुख तीन सिद्धान्त - प्रथम दृष्टया केस, सुविधा की तुला तथा अपूर्णनीय क्षति के सापेक्ष विचारण न्यायालय द्वारा अपना कोई अभिमत नहीं दिया गया है और न ही उक्त के सम्बंध में कोई विश्लेषण किया गया है । बल्कि सामान्य रूप से आदेश पारित कर दिया गया है जो कि विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है । पत्रावली पर प्रस्तुत खतौनी कागज संख्या-13ग/1 लगायत 13ग/2 के परिशीलन से पाया जाता है कि आराजी संख्या-235 मि० रकबा 0.2290 हे० के सम्बंध में खतौनी के आदेश के कालम संख्या-7 लगायत 12 में श्रीमती कुसुमा पत्नी अनिल कुमार, निवासी प्रेमनगर, ढकौली, सोमैया नगर, नवाबगंज, बाराबंकी का नाम बैनामा के आधार पर दर्ज होने सम्बंधी आदेश अंकित है । जबकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 18-12-2021 के विश्लेषण के पैरा में द्वितीय पेज पर खतौनी ग 13/1 व ग 13/2 तथा खतौनी ग 23/4 का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि उक्त पर न तो वादिनी का नाम दर्ज है, न तो प्रतिवादी संख्या-1 का नाम दर्ज है जो कि पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य में वर्णित तथ्यों के विपरीत है । यद्यपि कि खतौनी ग 23/4 में प्रतिवादी सं.1 का नाम अंकित नहीं है किन्तु खतौनी ग 13/1 - ग 13/2 में वादिनी का नाम अंकित होना पाया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अन्तिम पैरा में वादिनी का प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार करते हुए मौके पर उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखने तथा उभयपक्षों द्वारा कोई नवनिर्माण न करने के साथ साथ प्रतिवादी द्वारा वादिनी के उपभोग में हस्तक्षेप न करने का भी आदेश पारित किया गया है । प्रार्थना पत्र 6ग में मात्र विपक्षी संख्या-1 के सम्बंध में अनुतोष चाहा गया है, जबकि प्रश्नगत आदेश के माध्यम से सभी प्रतिवादीगण के सम्बंध में आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार सम्पूर्ण आदेश स्वयं में भ्रामकता लिये हुए है तथा अस्पष्ट है । यदि उपर्युक्त सम्पूर्ण विश्लेषण को दृष्टिगत रखा जाये तो यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश-39 नियम-1 व 2 सी.पी.सी. के सम्बंध में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप कोई अभिमत नहीं दिया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रलेखीय साक्ष्यों में वर्णित तथ्यों के विपरीत अंकन किया गया है । आदेश भी भ्रामक है । ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय / विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्य-20, बाराबंकी द्वारा मूल वाद संख्या-468 / 2021 कुसुमा देवी बनाम प्रदीप कुमार में अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6-ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जाब्ता दीवानी के संदर्भ

में पारित आदेश दिनांकित: 18-12-2021 निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना–पत्र 6-ग पर नये सिरे से सुनकर आदेश पारित किये जाने हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है । अतएव प्रश्नगत सिविल विविध अपील तद्नुसार स्वीकार किये जाने योग्य है ।

**आदेश**

**10-** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत सिविल विविध अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है । विद्वान विचारण न्यायालय / विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्य-20, बाराबंकी द्वारा मूल वाद संख्या-468 / 2021 कुसुमा देवी बनाम प्रदीप कुमार आदि में अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6-ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जाब्ता दीवानी के संदर्भ में पारित आदेश दिनांकित: 18-12-2021 निरस्त किया जाता है । विद्वान विचारण न्यायालय / विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), न्यायालय संख्य-20, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षण के अधीन प्रार्थना–पत्र 6-ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 जाब्ता दीवानी पर उभय पक्ष को पुनः सुनकर विधिनुसार निस्तारण करें । उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक - 09-04-2026 को उपस्थित हों । निर्णय की प्रति सहित तलबशुदा मूल-पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाय ।

दिनांक - 20.03.2025

(परशुराम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0-4, बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP 6451

**11-** उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक - 20.03.2025

(परशुराम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0-4, बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP 6451